न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी—मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:—53 आरटीए
प्रकरण संख्या:—321/2020

श्रवण कुमार पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. शिशपाल पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

उपस्थित—श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादी

श्री करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :— 06.01.2021

वादी श्रवण कुमार ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत खाता विभाजन के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि चकनं0 5 एन.डी.आर.सी जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 79/71 में कुल 1.492 है0 आराजी वादी व प्रतिवादीसं0 1 के नामं से ब0हि0ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी प्रतिवादीसं0 1 के साथ संयुक्त खाता मे दर्ज है।वादी व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व आपस में बाहमी विभाजन हो गया था व बाहमी विभाजन में वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 द्वारा अपनी अपनी जोत का अपनी काश्त की सहुलियत के अनुसार बटवारां कर लिया था व घरू बटवारां मे प्राप्त अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।घरू बटवारां मे वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी प्राप्त हुई है।वादी वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज घरू बटवारां मे प्राप्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाता चला आ रहा है लेकिन वादी की आराजी का खाता प्रतिवादीगण सं0 1 के साथ संयुकत रहने से वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 के मध्य आपस मे रकम राज जमा करवाने तथा काश्त के समय सीमा का विवाद बना रहता है। इसलिए वादी अपनी आराजी का खाता प्रतिवादीगण सं0 1 के साथ संयुक्त नही रखना चाहता है व वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज बटवारां के अनुसार अपनी आराजी का खाता अलग से कायम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी की आराजी का खाता तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये।बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी का हम पक्षकारान के मध्य आपस में बटवारां किया हुआ है व वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज बटवारां के अनुसार अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी व मुझ प्रतिवादी की भूमि का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम की जाती है

तो मुझ प्रतिवादी को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान आपस में सहमत है। इसी अनुसार हमारा आपस मे राजीनामा हो गया है।जबाबदावा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई। वादी साक्ष्य के रुप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया व स्टेट द्वारा अपना जबाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद में प्रतिवादी सं0 1 द्वारा सहमति का जबाबदावा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी के अधिववक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है। प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का निवेदन किया है व प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया गया है तथा रास्ता स्वीकृत होने के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रकट की है वादी का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा,शपथ पत्र वादी का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी के नाम से दर्ज है।पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दी, शपथ पत्र तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा के आधार पर व प्रतिवादी के द्वारा किसी प्रकार का वाद का विरोध न करने के कारण तथा मुताबिक जबाबदावा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है। वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि क.वादी श्रवण कुमार को चक 5 एनडीआर सी के प0न0 177/343 मु0 11 किलानं0 5/1/.202, 5/2/.051 है0 गै0मु0 खाला, 6/2/.215, 6/3/.025 है0 गै0मु0 खला, 7/2/.227 है0 ख. प्रतिवादीसं0 1 शिशपाल को चकनं0 5 एनडीआर सी के प0न0 177/343 मु0 11 किलानं0 8,9,10/.759 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार ही वादी व प्रतिवादी का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम कर चकनं0 5 एन.डी.आर.सी के प0न0 177/343 मु0 11 किलानं0 7/2/.013 है0 दक्षिण दिशा में रास्ता पूर्व से पश्चिम दिशा में स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईक्सदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–321/2020

श्रवण कुमार पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. शिशपाल पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादी श्रवण कुमार को चक 5 एनडीआर सी के प0न0 177/343 मु0 11 किलानं0 5/1/.202, 5/2/.051 है0 गै0मु0 खाला, 6/2/.215, 6/3/.025 है0 गै0मु0 खला, 7/2/.227 है0 ख.प्रतिवादी सं0 1 शिशपाल को चकनं0 5 एनडीआर सी के प0न0 177/343 मु0 11 किलानं0 8,9,10/.759 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार ही वादी व प्रतिवादी का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम कर चकनं0 5 एन.डी.आर.सी के प0न0 177/343 मु0 11 किलानं0 7/2/.013 है0 दक्षिण दिशा में रास्ता पूर्व से पश्चिम दिशा में स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...X.....निल.....X...मुब्लिक..X...निल.....X....बाबत्.....X.....निल.....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....X.अदा करें। वसक्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 06-01-2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी